

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड)/ 96(आप)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
अरवल, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज,
खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,
पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा,
शिवहर, सुपौल, वैशाली, किशनगंज, सिवान,
जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक 21/03/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 84(स्वी०) दिनांक 20.03.2025 द्वारा स्वीकृत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹10,93,80,765.00 (दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेशसंख्या 84(स्वी०) दिनांक 20.03.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के सामान्य निधि मद की देय अनुदान राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-04 के अनुरूप कुल ₹10,93,80,765.00 (दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को मानदेय की भुगतान हेतु कुल ₹10,93,80,765.00 (दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये)

Bm भगवान -

h

मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में

क्र०	जिला का नाम	ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय हेतु	तकनीकी सहायक के मानदेय हेतु	लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय हेतु	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	अरवल	4093977.00	948300.00	133420.00	5175697.00
2	औरंगाबाद	5074876.00	0.00	200000.00	5274876.00
3	बाँका	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
4	गोपालगंज	0.00	5508000.00	4080000.00	9588000.00
5	खगड़िया	9000000.00	0.00	0.00	9000000.00
6	लखीसराय	700000.00	0.00	2500000.00	3200000.00
7	मुंगेर	1797000.00	516000.00	0.00	2313000.00
8	मुजफ्फरपुर	0.00	8775000.00	8760000.00	17535000.00
9	पू० चम्पारण	0.00	6000600.00	7486600.00	13487200.00
10	प० चम्पारण	2250000.00	4800000.00	2700000.00	9750000.00
11	शेखपुरा	2940000.00	1296000.00	1080000.00	5316000.00
12	शिवहर	1250000.00	150000.00	150000.00	1550000.00
13	सुपौल	0.00	550000.00	0.00	550000.00
14	वैशाली	10207266.00	1579065.00	610902.00	12397233.00
15	किशनगंज	0.00	1116000.00	0.00	1116000.00
16	सिवान	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
17	जहानाबाद	300000.00	0.00	0.00	300000.00
18	दरभंगा	0.00	3500000.00	0.00	3500000.00
19	पूर्णिमा	0.00	700000.00	0.00	700000.00
20	समस्तीपुर	0.00	3627759.00	0.00	3627759.00
कुल		39613119.00	42066724.00	27700922.00	109380765.00
दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये मात्र					

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष-0009.31.04-सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 84(स्वी०) दिनांक 20.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी०

Bx

मि. गाना

6

सहायकों के मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नियमानुसार आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 214 दिनांक 06.03.2024, 478 दिनांक 06.08.2024 एवं 705 दिनांक 25.11.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ५०/टि० दिनांक.२१/०३/२०२५ पर प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) ५०/टि० दिनांक.२१-०३-२५

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, 05 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(21-3-25)

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) ५०/टि० दिनांक.२१-०३-२५

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(21-3-25)

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

६२